PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

Need to include a chapter on national duties in school curriculum

ले. जनरल (**डा.**) **डी.पी. वत्स** (**रिटा.**) (हरियाणा) : माननीय उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं एक अहम मुद्दे की तरफ शिक्षा मंत्रालय, सदन और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह

है राष्ट्रीय कर्तव्य या national duties. मेरी प्रार्थना है कि Fundamental Rights and Directive Principles से पहले school-going children को राष्ट्रीय कर्तव्य या national duties का बोध कराना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा के दौरान बच्चों की 80 प्रतिशत personality form हो जाती है। उस दौरान बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, राष्ट्रीय गान का सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा, संविधान का पालन, उच्च आदर्शों का आदर, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तत्परता, समरसता, भ्रातृत्व की भावना, स्त्रियों का सम्मान, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा आदि का बोध कराना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो Fundamental Rights का misuse होने की संभावना रहती है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी indiscipline में बदल जाती है और Right to Property, right to destruction of property में बदल जाती है। इसलिए पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बोध कराया जाए, इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, उसके बाद फंडामेंडल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ाये जाएं; । mean, nation is first and foremost. Thank you.

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला (गुजरात) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री महेश पोद्दार (झारखंड) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया (गुजरात) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री नरहरी अमीन (गुजरात) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया (गुजरात) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI DUSHYANT GAUTAM (Haryana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI JAIPRAKASH NISHAD (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SAMIR ORAON (Jharkhand): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI IRANNA KADADI (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to review the recent circular of RBI giving exemption from audit inspection

श्री नीरज डांगी (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की 20 करोड़ रुपये से अधिक एडवांस वाली शाखाओं का शत-प्रतिशत ऑडिट का प्रावधान रहा है तथा 20 करोड़ रुपये से कम एडवांसेज़ वाली शाखाओं में से मात्र बीस प्रतिशत शाखाओं का ऑडिट रोटेशनवाइज़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा करवाया जाता रहा है। 2020-21 के ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आरबीआई को कोरोना महामारी के हालातों के मद्देनज़र करवाए जाने वाले ऑडिट के पैरामीटर में बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसे आरबीआई ने स्वीकार करते हुए एडवांस को बेस मानते हुए सिर्फ 90 प्रतिशत एडवांसेज़ का ऑडिट करने का प्रावधान कर दिया था। तदुपरांत एडवांस के 90 प्रतिशत ऑडिट वाले प्रावधान को भी 17 मार्च, 2022 को जारी परिपत्र द्वारा घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है। इस नये प्रावधान से करीब 50 प्रतिशत शाखाएं ऑडिट के दायरे से बाहर हो गई हैं, जो न देश के बैंकिंग व वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है और न ही देश के जमाकर्ताओं के हितों के अनुकूल है।

महोदय, वर्तमान परिदृश्य में आये दिन रोज़ बैंकों के घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन वित्तीय अनियमितताओं के कारण बैंकों के लाइसेंस रद्द किये जा रहे हैं तथा जमाकर्ताओं की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई व बुढ़ापे का सहारा बैंकों के माध्यम से डूबता दिख रहा है और आगे भी डूबने के पूर्ण आसार नजर आ रहे हैं।